फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़

भैरूसिंह बनाम [illegible]

म मुकद्दमा वाद नं. 80 सन् 2024

2024/313

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/6/2024	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रकरण सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निष्पादित समझौता पत्र अनुसार वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम चित्तौड़गढ़ के खसरा संख्या 3266/1 रकबा 0.22 हे में राजस्व अभिलेख में विपक्षी संख्या 01 का नाम विलोपित कर जोत के आदेश प्रदान किए जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89 R.T.A. इस आशय का प्रस्तुत किया उसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 3266/1 रकबा 0.22 हे किस्म आबादी के रूप में दर्ज है। यह भूमि 45 हक से मूलत: भैरूसिंह पिता किशनसिंह राजपूत के स्वामित्व की थी। भैरूसिंह के निधन से विरासत से श्री अमरसिंह नारायणसिंह पिता भैरूसिंह जुम्मी पुत्री भैरूसिंह एवं सज्जनकंवर पत्नी भैरूसिंह प्रत्येक का 1/10 हक हिस्सा दर्ज हुआ। .....लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

उमरसिंह ने अपना 1/10 एक हिस्सा रोशनलाल बोहरा को व पुत्री पिता भैरूसिंह ने अपना 1/10 एक हिस्सा तेजकुमारी बोहरा को विक्रय कर दिया। नारायण सिंह ने अपने 1/10 एक हिस्से में से 1/2 अर्थात 1/20 एक हिस्सा अशोक चीपड को तथा सज्जनकंवर ने अपना 1/10 एक हिस्सा में से 1/2 अर्थात 1/20 एक हिस्सा अशोक चीपड को विक्रय कर दिया। नारायणसिंह व सज्जनकंवर अपने शेष रहे 1/20 - 1/20 एक हिस्से को भी चान्दमल चीपड को विक्रय कर दिया। नारायणसिंह व सज्जनकंवर द्वारा अपना सम्पूर्ण एक हिस्सा विक्रय करने से भूमि तदनुसार क्रेतागण के नाम नामान्तरण दर्ज हुई। किन्तु सम्वत 2056-59 की जमाबन्दी में हुए नामान्तरण अनुसार आगामी चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2060-2063 में दुरुस्त इन्द्राज नहीं होने से चान्दमल चीपड के नारायणसिंह व सज्जनकंवर का 1/10 एक व हिस्सा दर्ज कर दिया इसका फायदा उठाकर नारायणसिंह व सज्जनकंवर ने राजस्व अभिलेख के आधार पर 1/10 प्रतिवादी शान्तिलाल नाहटा को विक्रय कर दी। नारायणसिंह सज्जनकंवर व विपक्षी शान्तिलाल नाहटा राजस्व कर्मचारीयों की लिपिकीय भूल की जानकारी अपने में निहित रखते थे तथा मौके पर कोई भूमि शेष नहीं होने की जानकारी भी निहित रखते थे किन्तु इसके उपरान्त भी विपक्षी शान्तिलाल नाहटा ने विक्रय के आधार पर नारायणसिंह व सज्जनकंवर के बजाय अपना नाम राजस्व अभिलेख

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मे दर्ज करा लिया। वादी के खातेदार चौपड़, तेजकुमारी, मोहनलाल, अशोक चौपड़ से उक्त विक्रय विलेख क्रय किया जिससे वादी का नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज रेकार्ड हुआ किन्तु विपक्षी राजस्व अभिलेख मे अपने नाम का फायदा उठाकर भूमि अन्य दिगर व्यक्तियों को विक्रय करना चाहा तो वादी को इसकी जानकारी हुई, जिससे इन्द्राज दुरुस्ती एवं घोषणा का यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चित्तौड़गढ स्थित खसरा नम्बर 3266/1 रकबा 0.22 हे. मे राजस्व अभिलेख मे विपक्षी संख्या 01 का नाम विलोपित किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत 2056-2059 अनुसार ई.नं. 732 मे चांदमल पिता भंवरलाल चौपड़ शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ 7($\frac{60+59}{2}$) इन्द्राज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2060-63 अनुसार चान्दमल के साथ पुत्र; नारायणसिंह पिता भैरूसिंह, सज्जनकंवर बेवा भेरूसिंह 1/10 हिस्सा दर्ज होगया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2064-67 अनुसार ई.नं. 1785 मे विक्रय से आ.नं. 3266/1 रकबा 0.22 हे मे नारायणसिंह पिता भैरूसिंह सज्जनकंवर बेवा भैरूसिंह 1/10 के बजाय फेल शांतिलाल पिता चान्दमल जैन सा. भिण्डर बाजार चित्तौड़गढ 1/10 दर्ज हुआ।

प्रतिवादी संख्या 01 शांतिलाल ने अपने जवाब एवं समझौता पत्र मे इस तथ्य को स्वीकार किया कि नारायणसिंह पिता भैरूसिंह

.....लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

AnyScanner

सज्जनकंवर बेवा भैरूसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा चान्दमल चीपड़ को विक्रय कर दिया किन्तु सम्वत 2056-59 की जमाबन्दी मे हुए नामान्तरण अनुसार आगामी चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2060-63 मे इन्द्राज दुरूस्त नही करने से चान्दमल चीपड़ के साथ पुन: नारायणसिंह व सज्जनकंवर का 1/10 हक व हिस्सा अंकित कर दिया। इसका फायदा उठाकर नारायणसिंह व सज्जनकंवर ने 1/10 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 शान्तिलाल नाहटा को विक्रय कर दिया जिससे राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी शान्तिलाल का नाम दर्ज हुआ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से हस्ब समझौता पत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 - वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चित्तौड़गढ स्थित खसरा संख्या 3266/1 रकबा 0.22 हे. मे प्रतिवादी 01 शान्तिलाल का कोई हक हिस्सा निहित नही होने से राजस्व अभिलेख मे शान्तिलाल पिता चांदमल जैन सा. भैरूदं बाजार चित्तौड़गढ 1/10 विलोपित किए जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)